पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–10/2020 ज॰स॰– 175

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 06/01/21

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रूपये 68.922 लाख (रूपये अड़सठ लाख बानबे हजार दो सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 51/24.09.2019; 77/12.02.2018; 04/21.04.2017; 67/18.03.2016 एवं 04/26.04.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2020–21** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 20– पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50**S**470200796200545	**68.922**
आवंटित राशि – रूपये अड़सठ लाख बानबे हजार दो सौ मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष **2020–21** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 3000.00 लाख (**तीस करोड़**)** मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि योजना–सह–विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक–2341, दिनांक–04.12.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 75% की राशि के अन्तर्गत है।
5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
7. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्ति किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

06/01/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 175 रॉची, दिनांक :– 06/01/21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/चाईबासा/जमशेदपुर/लातेहार** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

06/01/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 175 राँची, दिनांक :– 06/01/21

प्रतिलिपि :– सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(अशोक कुमार दास) संयुक्त सचिव (अभि०)	06/01/21 **(प्रशांत कुमार)** सचिव

विभागीय पत्रांक ......175...... दिनांक ......06/01/21...... का अनुलग्नक **परिशिष्ट –1**

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
बजट उपबंध (2020–21) – रूपये 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़) मात्र
विपत्र कोड– **50S470200796200545**

(राशि लाख रूपये में)

क्र॰		कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020–21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची (RNCMIR001)	राँची	सिल्ली	एराल मध्यम सिंचाई योजना का विस्तारीकरण	51/2019-20 dt 24.09.2019	98.935	1463 / 25.09.2019	88.007	0.000	0.000	16.198	16.198	16.198	**67614**	
योग :–							**98.935**		**88.007**	**0.000**	**0.000**	**16.198**	**16.198**	**16.198**		
2	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा (SGHMIR002)	प० सिंहभूम	हाटगम्हरिया	बांसपानी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो०	77/2017-18 dt 12.02.2018	51.907	2162 / 13.02.2018	48.880	47.198	0.000	1.670	1.670	48.868	**67615**	
3	2			तांतनगर	बनामहातु म०सिं०यो० का जीर्णो०		76.815		77.322	40.750	0.000	36.883	36.883	77.633		
4	3			बदगाँव	राजाबांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो०		92.656		80.081	75.788	0.000	4.530	4.530	80.318		
5	4			हाटगम्हरिया	जामडीह मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णो०	04/2017-18 dt 21.04.2017	37.112	448 / 02.05.2017	34.165	25.186	0.000	4.171	4.171	29.357	**67618**	
योग :–							**258.490**		**240.448**	**188.922**	**0.000**	**47.254**	**47.254**	**236.176**		
6	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRMIR001)	पूर्वी सिंहभूम	चाकुलिया	लोधाशोली म०सिं०यो० का जीर्णो०	67/2015-16 dt 18.03.2016	55.190	2753/ 21.03.2016	54.610	29.350	0.000	0.570	0.570	29.920	**67617**	
योग :–							**55.190**		**54.610**	**29.350**	**0.000**	**0.570**	**0.570**	**29.920**		
7	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार (LTRMIR001)	लातेहार	बालुमाथ	धाधू म०सिं०यो० का जीर्णो०	77/2017-18 dt 12.02.2018	109.407	2162/ 13.02.2018	101.043	97.654	0.000	2.660	2.660	100.314	**67616**	
8	2			लातेहार	सवानो मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	04/2018-19 dt. 26.04.2018	77.459	279/ 02.05.2018	68.189	66.350	0.000	2.240	2.240	68.590	**67619**	
योग :–							**186.866**		**169.232**	**164.004**	**0.000**	**4.900**	**4.900**	**168.904**		
सकल योग :–							**599.481**		**552.297**	**382.276**	**0.000**	**68.922**	**68.922**	**451.198**		

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

06/01/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव